


16.04.25

पत्रावली पेश हुई। वकील दुमपक्ष उपस्थित।
बिषय पर मनन करने एवं पत्रावली का उपलोकन करने
पर वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तुरन्त तकमील
होकर दायित्व दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर तुलें न्यायालय में
सुनाया गया।


(किरण पाल)
R.A.S.